पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 2601/2016

उनवान

पिता जवेरचन्द्रजी जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

जेन्द्र पिता गोतमलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

हसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 20/8/2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खाते, कब्जे व आधिपत्य की कृषि भूमि नम्बर 4701 रकबा 0.43 हे0 ग्राम लोहारिया पटवार हल्का लोहारिया तहसील गढ़ी जिला वाड़ा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। उक्त सर्वे नम्बर की भूमि पुर—बांसवाड़ा मुख्य सड़क के मध्य बिन्दु से 130 फीट को छोड़ कर स्थित है। उक्त भूमि सड़क के मध्य अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी सर्वे नम्बर 4700 रकबा 0.16 हे0 भूमि स्थित जिसमें से हाकर वर्षे से प्रार्थी अपने खेत में आने—जाने हेतु बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ईत्यादी लाना जाना करता है। प्रार्थी के पास अपने उक्त खेत में आने—जाने के लिये सर्वे नम्बर 4700 के वा अन्य कोई रास्ता अथवा विकल्प नही है। अप्रार्थी संख्या 01 बार—बार रास्ता अवरूद्ध ता रहा है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता कायम कराना नितान्त श्यक है। तथा रास्ते के रूप में दर्ज की जाने वाली भूमि का प्रार्थी प्रतिकर अदा करने को र है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम नन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वंय उपस्थित होकर आदेश 7 नियम 11 सी. सी. का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 01 के सर्वे नम्बर 4700 रकबा 0.12 हे0, सर्वे र 4670 रकबा 0.06 हे0 भूमि दिनांक 29.7.1993 को कृषि से अकृषि में रूपान्तरित होकर स्व रेकार्ड में आबादी दर्ज होने से आबादी भूमि का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को निरस्त कराने निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत ना—पत्र का प्रार्थी अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सर्वे नम्बर 4700 की 132 फीट की सड़क सीमा में ही समाप्त हो जाती है, जिसमें अप्रार्थी को कोई निर्माण करने अधिकार नही होने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी. सी. के प्रार्थना—पत्र को निरस्त कराने निवेदन किया।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार ढ़ी के पत्रांकः राजस्व/2019/1140/1457 दिनांक 14.8.2019 द्वारा मौके एंव रिकार्ड के नुसार स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट की छाया प्रति प्रार्थी अभिभाषक को उपलब्ध कराई जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.8.2019 को नियत की गई। दिंनांक 21.8.2019 को उभय पक्षकारान् के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड एंव तहसीलदार गढ़ी द्वारा दिनांक 14.8.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी सर्वे नम्बर 4701 की भूमि पर पहुॅच बाबत् 20 फीट चौड़ाई का एक रास्ता भारत संचार निगम लिमि0 लोहारिया के कार्यालय के पास में तथा दूसरा रास्ता सर्वे नम्बर 4884 व 4700 के मध्य में माही विभाग की निर्मित केनाल (नहर) के किनारे एक तरफ 10 फीट एंव एक तरफ 08 फीट का रास्ता उपलब्ध होकर उक्त दोनो रास्तों से प्रार्थी के सर्वे नम्बर 4701 की भूमि में आवगमन हेतु रास्ता उपलब्ध होना अवगत कराया गया।

उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट जाहीर हैं कि प्रार्थी के सर्वे नम्बर पर पहुॅच के लिए पर्याप्त